Title: Regarding reported disappearance of documents related to Ayodhya issue.

श्री जगदम्बिका पाल (हुमरियागंज) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक अत्यन्त लोक महत्व तथा अत्यन्त संवेदनशील प्रश्न पर बोलने की अन्जा दी है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

सभापित महोदय, जो भी तत्कालीन सरकारे रहीं तथा वर्तमान सरकार ने भी हमेशा अपेक्षा की है कि अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि-बाबरी मिस्जिद विवाद का समाधान या तो परस्पर सहमित से होगा या सम्मानित उच्च न्यायालय के द्वारा होगा। जब सम्मानित उच्च न्यायालय उसके समाधान की दिशा में आगे कार्रवाई कर रहा है, वह मामला जब समाधान के करीब है और हाई कोर्ट ने जब अयोध्या से जुड़ी हुई 23 महत्वपूर्ण पत्राविलयां, जो आज गायब हो गई हैं, जिसके कारण निश्चित तौर से आज अयोध्या स्थित राम-जन्मभूमि-बाबरी मिस्जिद के समाधान में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। यह अपने आपमें इतना संवेदनशील मामला है, जो पूरे देश के जन-जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पिछले कई वर्षों से इसने इस देश को उद्वेलित किया है, तमाम फैसले ऐसे हुए हैं, जिसे देश में आपने महसूस किया है। लेकिन फाइलें गायब होती रहीं, राज्य सरकार सोती रही और किसी को इसकी सुध नहीं थी। जब सम्मानित उच्च न्यायालय ने उन पत्राविलयों को, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ थे, जो 1950 में वहां की जमीन को अधिग्रहीत करने की कार्रवाई की गई थी, उससे सम्बन्धित पत्राविलयों जब तलब करने की बात की गई तो शुरू में राज्य सरकार के द्वारा कहा गया कि पांच पत्राविलयों नहीं मिल रही हैं। जब गहराई से छानबीन की गई तो कहा कि 23 पत्राविलयां नहीं मिल रही हैं और आज उन 23 पत्राविलयों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि ये भाजपा की सरकार में गई हैं। आखिर, आज वर्तमान सरकार की निश्चित तौर से जवाबदेही है। यह कहकर कि इस जांच को हम सी.बी.आई. के लिए रिकमण्ड करते हैं, इसमें कोई टर्म्स ऑफ रैफरेंस नहीं है। जब उस मामले की पैरवी करने वाले वहां के एक सैक्शन आफिसर श्री भान शाद थे, बाद में वे अंडर सैक्रेटरी हुए। वे इस अयोध्या मामले की पैरवी के लिए जब दिल्ली आये तो 1992 में उनकी यहां पर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। गांज निश्चित तौर पर यह लगता है कि जिस तरह से पत्राविलयां गायब हुई हैं, उनकी दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी, उनकी लाश यहां...(ट्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have already made your point.

श्री जगदिन्बिका पाल : मैं अपनी बात को कन्क्लूड कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर उनकी हत्या हुई है। मैं समझता हूं कि यह गम्भीर मामला है कि अगर ये 23 पत्राविलयां, जो अयोध्या स्थित उस विवाद से जुड़ी हुई हैं और जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी उस समय वहां के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर को टेलीग्राम किया, डी.एम., किमश्नर ने चीफ सैक्रेटरी से पत्राचार किया, वे सारी पत्राविलयां गायब हैं। आज यह देश जानना चाहता है कि वे पत्राविलयां, जो इस देश के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ी हुई हैं, किसकी सरकार में गायब हुई। हम इस आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहते, लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार की मुख्यमंत्री का बयान गैर-जिम्मेदाराना है कि वे किसी पूर्ववर्ती सरकार में गईं। ढाई वर्ष से वे सरकार में हैं और वहां सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन पत्राविलयों की रक्षा वहां की होम मिनिस्ट्री, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती तो उत्तर प्रदेश की जनता की क्या रक्षा करेगी। आज उनकी इस बात में रुचि नहीं है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों को वहां निश्चित तौर पर ...(<u>व्यवधान</u>)

MR. CHAIRMAN: You are repeating what you have already said. You have made the point.

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात को कन्क्लूड कर रहा हूं। सन् 2000 से बाबरी मस्जिद-राम जन्म-भूमि का मामला था, जिसकी पत्रावलियां नहीं मिल रहीं और जिसमें उसकी पैरवी करने वाले अधिकारी की मौत हो चुकी है। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसकी मौत दुर्घटना में हुई या उसकी हत्या हुई।

MR. CHAIRMAN: You are not allowed to speak.

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: you have made the point. The Government has noted that. Please sit down.

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर श्री जगदम्बिका पाल के साथ अपने आपको भी सम्बद्ध करना चाहता हूं। ...(<u>ट्यवधान)</u>

श्री जगदिन्बिका पाल : महोदय, इस पर कम से कम होम मिनिस्टर रेस्पांड कर दें। ...(<u>व्यवधान</u>) भारत सरकार में आप संसदीय मंत्री हैं। ...(<u>व्यवधान)</u> इस तरह का जो मामला है, यह सदन में एक बार नहीं ...(<u>व्यवधान)</u>

MR. CHAIRMAN: That is a good suggestion but you cannot insist on the Government.

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट कर रहा हूं। ...(<u>ट्यवधान</u>)

MR. CHAIRMAN: Today we cannot do that. You know that we have decided to take up only five issues. To give opportunity to the Members we have taken this up and this is the seventh Member to speak. We cannot disturb the other discussion that is going on. What you have said is very correct. The Government has already noted that.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Chairman, Sir, the hon. Member has raised a very important subject. I will convey the feelings of the hon. Member to the Minister concerned. If need be, he will get back to the Member.